न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 162 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. परबतसिंह पुत्र किशोरसिंह
2. उकसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी कुशीप तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.नरपतसिंह पुत्र उमसिंह
2.उमसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी कुशीप तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।
3.डुंगरसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।
4.राजस्थान राज्य जरीये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 156 / 2010 बअनवान परबतसिंह वगैरा बनाम नरपतसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 28.02.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री संतोषकुमार भंसाली अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 24.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद इस आशय का पेश हुआ कि सरहद मौजा हरमलपुरा(कुशीप) के खेत खसरा संख्या 450 रकबा 35.11 बीघा खसरा संख्या 445, 447, 448, 449, 458 रकबा क्रमशः 0.05, 0.04, 27.03, 0.03, 21.10 बीघा आया हुआ है, उक्त भूमि किशोरसिंह के कब्जा काश्त की थी किशारसिंहजी के चार पुत्र थे जिसमें सबसे बड़ा पुत्र रूपसिंह अविवाहित व लाऔलाद ही दिनांक 02.12.2008 को फौत हो गये थे अर्थात उक्त वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय रूपसिंहजी लाऔलाद निर्वसीयती फौत होने से उनका हिस्सा किशोरसिंहजी के शेष पुत्रान अपीलकर्तागण परबतसिंह व उकसिंह तथा रेस्पोडेंटान संख्या 02 उमसिंह में बराबर हिस्से में वेस्ट हो जाता है लेकिन रेस्पोडेंटान संख्या 02 ने रूपसिंह के देहान्त के बाद फर्जी कुटरचित अंगुष्ठ निशान बनाकर पुरानी तारीख यानि दिनांक 18.10.2008 मं आपराधिक कृत्य से एक कुटरचित वसीयतनामा तैयार किया जो अपने आप में शून्य अवैध, अनुचित व आपराधिक कृत्य की तारीख में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद कुटरचित वसीयतनामा दिनांक 18.10.2008 को लिखा जाकर दिनांक 19.10.2008 को गांव कुशीप से 30 किलोमीटर दुर बालोतरा के नोटेरी से तस्दीक किया जाना होना बताया है तथा वसीयतनामा अधिवक्ता जयप्रकाश रामदेव से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आईडेन्टीफाईड होना बताया है जबकि अधिवक्ता रामदेव के हस्ताक्षर भी मेल नहीं खा रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाकर्तागण के द्वारा उपरोक्त वसीयतनामा फर्जी होने के दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद थे तथा वादपत्र प्रथम दृष्टया काबिल डिक्री के है यदि वादग्रस्त आराजी को उतरदातागण द्वारा आगे से आगे बेचान कर हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांटगण को होने की वजह से अपीलांटगण के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रमाणित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करते हुए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद कुटरचित वसीयतनामा दिनांक 18.10.2008 को लिखा जाकर दिनांक 19.10.2008 को गांव कुशीप से 30 किलोमीटर दुर बालोतरा के नोटेरी से तस्दीक किया जाना होना बताया है तथा वसीयतनामा अधिवक्ता जयप्रकाश रामदेव से आईडेन्टीफाईड होना बताया है जबकि अधिवक्ता रामदेव के हस्ताक्षर भी मेल नहीं खा रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाकर्तागण के द्वारा उपरोक्त वसीयतनामा फर्जी होने के दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद थे तथा वादपत्र प्रथम दृष्टया काबिल डिक्री के है यदि वादग्रस्त आराजी को उतरदातागण द्वारा आगे से आगे बेचान कर हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांटगण को होने की वजह से अपीलांटगण के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रमाणित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करते हुए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो सजरा पेश किया गया है व गलत बताया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा ही रूपसिंह की सेवा चाकरी की गई। रेस्पोडेंट बतौर गोदपुत्र मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। रेस्पोडेंट रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध स्थगन आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि मूल वाद अभी भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी में उभयपक्ष के हितों का निर्धारण वाद के निस्तारण के बाद ही तय हो सकता है उससे पहले वादग्रस्त आराजी का बेचान/हंस्तातंरण हो जाता है तो मामले में अनावश्य लिटीगेशन बढेगा। वादग्रस्त आराजी का उतरदातागण द्वारा मौके एवं रेकर्ड की स्थिति में रदोबदल होने की पूरी आशंका है। यदि वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बेचान हो जाता है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। इस दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2010 बअनवान परबतसिंह वगैरा बनाम नरपतसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 28.02.2014 अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंटस को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे मामले के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी बेचान/हस्तांतरण नहीं करे तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

24/10/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner